रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1257] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 19, 2006/आश्विन 27, 1928
No. 1257] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 19, 2006/ASVINA 27, 1928

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 2006
आय-कर

का.आ. 1796(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (ग्याहरवाँ संशोधन) नियम, 2006 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 में,-

(क) नियम 6कख में, "प्ररूप सं0 3ख" शब्दों, अंक और अक्षर के स्थान पर "प्ररूप सं0 3कङ" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) नियम 12 के उपनियम (1) में,-

(i) प्रारंभिक भाग में, "धारा 139 की उपधारा (4ग)" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षर के स्थान पर "धारा 139 की उपधारा (4ग) या धारा 139 की उपधारा (4घ)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ङ) में, "धारा 139 की उपधारा (4ग)" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षर के स्थान पर "धारा 139 की उपधारा (4ग) या धारा 139 की उपधारा (4घ)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ग) परिशिष्ट 2 में,-

(i) प्ररूप सं0 3क के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :--

आईटीएस-3क

"प्ररूप सं0 3क

[आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखिए]

आय की विवरणी और सीमान्त फायदों की विवरणी

धारा 139 (4क) या धारा 139 (4ग) या धारा 139 (4घ) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित व्यक्तियों के लिए जिनमें कंपनियां भी सम्मिलित हैं --

- कृपया अनुदेशों का पालन करें और सुसंगत अनुसूचियां भरें।
- स्थायी खाता सं0 अवश्य कोट किया जाए ।
- स्पष्ट अक्षरों का ही प्रयोग करें ।

अभिस्वीकृति
केवल कार्यालय के प्रयोग के लिए
पावती सं0. तारीख
....
प्राप्त करने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्रा

भाग-क

साधारण

1. स्थायी लेखा संख्यांक (पैन) [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

2. नाम (जैसा सृजन/गठन/निगमन/विश्चन विलेख में वर्णित है)

पता

(फ्लैट सं0/ द्वार/मकान सं0,/ परिसर,

मार्ग, अवस्थान)

पिन [ ][ ][ ][ ][ ][ ] टेलीफोन [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

फैक्स, यदि कोई हो [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

4. गठन की तारीख (दिन-मास-वर्ष) [ ][ ] - [ ][ ] - [ ][ ][ ][ ] 5. प्रास्थिति* [ ][ ]

6. ई- मेल आई डी: [ ]

7. क्या पते में कोई परिवर्तन हुआ है? हाँ [ ] नहीं [ ]

8. धारा 12क(क) के अधीन रजिस्ट्रीकरण की संख्या और तारीख [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] और [ ][ ] - [ ][ ] - [ ][ ][ ][ ]

9. यदि धारा 10 के अधीन छूट का दावा किया हो :

(i) खंड और उपखंड दर्शाएं

(ii) अधिसूचना/अनुमोदन की तारीख, यदि कोई हो - -

(iii) वैधता की अवधि - - से - -

10. क्या धारा 164 के अधीन अधिकतम सीमांत दर से कर के लिए दायी हैं? हाँ नहीं

11. वार्ड /सर्किल/रेंज

12. निर्धारण वर्ष -

13. निवासीय प्रास्थिति*

14. यदि अधिकारिता में परिवर्तन है तो पुराना वार्ड / सर्किल/ रेंज बताएं

15. वह धारा जिसके अधीन यह विवरणी फाइल की जा रही है** आय की विवरणी सीमांत फायदों की विवरणी

16. विवरणी मूल है या संशोधित

यदि संशोधित है तो रसीद सं0 और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख । और -

17. क्या यह आपकी पहली विवरणी है? हाँ नहीं

*अनुदेशों में यथावर्णित कोड भरें ।

** कृपया सुसंगत कोड भरें: *आय की विवरणी-* धारा 139- 1 1 ,धारा 142- 1 2 , धारा 148- 1 3

सीमांत फायदों की विवरणी- *धारा 115बघ(1)* - 2 1 *धारा 115बघ(2)* - 2 2 , *धारा 115बज* - 2 3

भाग ख

(क) कुल आय की संगणना

18. गृह संपत्ति - आय [अनुसूची- (च-1क)] 360

19.(i) कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ [अनुसूची- (च-1ख)] 595

(ii) उपरोक्त(i) में सम्मिलित प्रतिभूति संव्यवहार कर को प्रभार्य संव्यवहारों से लाभ और अभिलाभ [अनुसूची- (ख-26(ii)] 597

20. पूंजी अभिलाभ

(क). अल्पकालिक (धारा 111क के अधीन) [(अनुसूची च-1ग(i)]	710	
(ख) अल्पकालिक (अन्य) [(अनुसूची च-1ग(ii)]	704	
(ग) दीर्घकालिक [(अनुसूची च-1ग(iii)]	705	
21. अन्य स्रोतों से आय [(अनुसूची च-1घ)]	499	
22. धारा 11 के अधीन समझी गई आय [(अनुसूची च-4(iv)]	736	
23. कुल [(18)+(19)+(20)+(21)+(22)]	761	
24. घटाएं : आय पर छूट [(अनुसूची च 3(viii)]	731	
25. धारा 11(4) के अधीन प्रभार्य आय [(अनुसूची -ख (34)]	596	
26. कुल आय [(23)-(24)+(25)]	761	

शब्दों में

(ख) कुल आय पर करों की विवरणी

27. शुद्ध कृषि आय [(अनुसूची च-9]	762	
28. कुल आय पर कर [(अनुसूची छ-2]	811	
29. धारा 88ङ के अधीन रिबेट [(अनुसूची छ-3]	818	
30. अधिभार [(अनुसूची छ-5]	828	
31. शिक्षा उपकर [(अनुसूची छ-7]	834	
32. कर +अधिभार + शिक्षा उपकर [(अनुसूची छ-8]	835	
33. स्रोत पर काटा गया/संगृहीत कर [(अनुसूची छ-12ख]	873	
34. संदत्त अग्रिम कर [(अनुसूची छ-12क]	862	
35. संदत्त स्वतः निर्धारण कर [(अनुसूची छ-12ग]	888	
36. संदेय अतिशेष कर[(32)-(33)-(34)-(35)]	145	
37. धारा 234क/234ख/234ग के अधीन संदेय ब्याज [(अनुसूची छ-10]	846	
38. संदेय कर और ब्याज [(अनुसूची छ-14]	891	
39. शोध्य प्रतिदाय, यदि कोई हो [(अनुसूची छ-15]	894	

भाग -ग

सीमांत फायदों की संगणना और उस पर कर (यदि लागू हो)

1. पहली तिमाही के लिए सीमांत फायदों का मूल्य	8500	
2. दूसरी तिमाही के लिए सीमांत फायदों का मूल्य	8501	
3. तीसरी तिमाही के लिए सीमांत फायदों का मूल्य	8502	
4. चौथी तिमाही के लिए सीमांत फायदों का मूल्य	8503	
5. कुल सीमांत फायदों का मूल्य (अनुसूची- ड)	8504	
6. संदेय सीमांत फायदा कर [(5) का 30%]	8505	
7. (6) पर अधिभार	8506	
8. [(6)+(7)] पर शिक्षा उपकर	8507	
9. संदेय कुल सीमांत फायदा कर [(6)+(7)+(8)]	8508	
10. संदत्त अग्रिम सीमांत फायदा कर (अनुसूची -ढ)	8509	
11. संदेय अतिशेष कर [(9)-(10)]	8510	
12. धारा 115बञ के अधीन ब्याज	8511	
13. धारा 115बट के अधीन ब्याज	8512	
14. संदत्त स्वतः निर्धारण कर (अनुसूची - ण)'	8513	
15. संदेय/प्रतिदेय अतिशेष कर [(11)+(12)+(13)-(14)]	8550	

संलग्न दस्तावेजों/विवरणियों की संख्या

	वर्णन	अंकों में	शब्दों में		वर्णन	अंकों मे	शब्दों में
क.	स्रोत पर काटा गया कर प्रमाणपत्र			च.	धारा 11(1) के अधीन विकल्पों के प्रयोग के लिए आवेदन		
ख.	प्ररूप सं0 10ख में संपरीक्षा रिपोर्ट			छ.	प्ररूप 10घख/10घग		
ग.	प्ररूप सं0 10खख में संपरीक्षा रिपोर्ट			ज.	आय/व्यय लेखा और तुलन पत्र		
घ.	धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट			झ.	अन्य		
ङ.	धारा 11(2) के अधीन विकल्पों के प्रयोग के लिए प्ररूप सं0 10						

सत्यापन

मैं,.....(स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम) पुत्र/पुत्री श्री.....सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूं कि इस विवरणी और इसके साथ सलंग्न अनुसूचियों, विवरणों, आदि में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण हैं और यह कि उसमें दर्शित कुल आय/सीमांत फायदों की रकम और अन्य विशिष्टियां सत्य रूप से कथित की गई हैं और निर्धारण वर्ष.....से सुसंगत पूर्व वर्ष के आय-कर के लिए प्रभार्य आय/सीमांत फायदों के संबंध में आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार हैं । मैं यह और घोषणा करता/करती हूं कि मैं..... की हैसियत में यह विवरणी दे रहा/रही हूं और मैं इस विवरणी को देने के लिए और सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूं ।

तारीख.....

स्थान.....

.....

नाम और हस्ताक्षर

अनुसूची क : गृह संपत्ति से आय

एक से अधिक गृह संपत्ति की दशा में, पृथक पन्ने पर (विवरणी में संलग्न किया जाए) प्रत्येक संपत्ति से आय संगणित की जाए और मद सं0 16 के सामने संकलित अंक वर्णित किए जाएं

1. पन्नों की सं0 [301] [ ] (एक से अधिक संपत्ति की दशा में) पन्ना सं0 [302] [ ]

2. संपत्ति का पता

(फ्लैट सं0/ द्वार/मकान सं0,/ परिसर, मार्ग, अवस्थान/ग्राम/ नगर/जिला, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र, क्रमानुसार)

पिन

3. ऊपर दर्शित संपत्ति का विवरण दें क्या वह

[303] स्वयं की है [ ] या किराए पर है [ ] या अदखलकृत है [ ] (यथा लागू पर टिक लगाएं)

4. विनिर्मित क्षेत्र (वर्गमीटर में) [304] अनुलग्न भूमि का क्षेत्र (वर्गमीटर में) [305] किराया योग्य वार्षिक मूल्य [306]

5. वार्षिक किराया योग्य मूल्य/प्राप्त या प्राप्त योग्य वार्षिक किराया (जो भी उच्चतर हो) [307]

6. घटाएं : धारा 23 के अधीन दावाकृत कटौती

(क) स्थानीय प्राधिकारी को संदत्त वास्तविक कर

(ख) अप्राप्त किराया

(ग) .....

7. उपरोक्त 6 का योग 312

8. अतिशेष [(5)-(7)] 313

9. घटाएं : धारा 24 के अधीन दावाकृत कटौतियां

(क) वार्षिक मूल्य का 30% 321

(ख) उधार ली गई पूंजी पर ब्याज 322

10. उपरोक्त 9 का योग 325

11. अतिशेष [(8)-(10)] 330

12. धारा 25क/और या 25कक के अधीन वर्ष में प्राप्त किया गया अप्राप्त किराया 331

13. (क) धारा 25ख के अधीन वर्ष में प्राप्त किराए के बकाए की रकम 332

(ख) घटाएं : धारा 25ख के अधीन अनुज्ञेय कटौती (प्राप्त बकाए किराए का 30%) 333

14. धारा 25ख के अधीन प्रभार्य आय [13(क)-13(ख)] 340

15. अतिशेष [(11)+(12)+(14)] 341

16. 15 का योग (एक से अधिक संपत्ति की दशा में, सभी पन्नों का योग दीजिए) 350

17. "गृह संपत्ति से आय" (16) शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय 399

अनुसूची ख : कारबार या वृत्ति से लाभ या अभिलाभ

(I) साधारण

1. कारबार या वृत्ति की प्रकृति : विनिर्माण 503 व्यापार 502

विनिर्माण-सह-व्यापार 503 सेवाएं 504 वृत्ति 505 अन्य 506

2. शाखाओं की संख्या पूरे पता/पते के साथ सूची संलग्न करें

.....

.....

3. लेखा पद्धति 507 वाणिज्यिक नकद

4. क्या लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन किया गया है ? हां नहीं

5. यदि हां, तो परिवर्तन का विवरण दीजिए

.....

.....

6. स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति.....

7. क्या स्टॉक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन किया गया है ? हां ☐ नहीं ☐

8. यदि हां, तो परिवर्तन का विवरण दीजिए.....

9. क्या आप धारा 44कक के अनुसार लेखे का अनुरक्षण करने के लिए दायी हैं? हां ☐ नहीं ☐

10. क्या आप धारा 44ख(क)/(ख) के अधीन कर संपरीक्षा के लिए दायी हैं ? हां ☐ नहीं ☐

11. क्या आप धारा 44 कघ/44कङ/44कच के साथ पठित धारा 44कख(ग) के अधीन कर संपरीक्षा के लिए दायी हैं ? हां ☐ नहीं ☐

12. यदि 'मद 10 या मद 11' का उत्तर हां है तो क्या आपने विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व लेखे संपरीक्षित कराए हैं ? हां ☐ नहीं ☐

13. यदि हां, तो क्या संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है ? हां ☐ नहीं ☐

यदि हां, तो रसीद सं0 .....और उसको फाइल करने की तारीख दीजिए (प्रति भी संलग्न करें)

(II) सट्टे वाले कारबार से भिन्न कारबार या वृत्ति से आय की संगणना

(यदि आप एक से अधिक कारबार या वृत्ति रखते हैं और पृथक लेखा पुस्तकें अनुरक्षित करते हैं तो प्रत्येक ऐसे कारबार या वृत्ति के लिए संगणना देते हुए पृथक पन्ना (पन्ने) संलग्न करें और विभिन्न मदों के सामने संकलित अंक दर्शाएं)

14. समेकित लाभ और हानि लेखे के अनुसार शुद्ध लाभ या हानि 510 ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

15. जोड़ें : लेखे की पद्धति और/या स्टॉक के मूल्यांकन में परिवर्तन के कारण समायोजन 511 ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

धारा 44कघ/44कङ/44कच के अधीन समाविष्ट आय रखने वाले निर्धारितियों के लिए :--

16 (i) जोड़ें/घटाएं- कारबार(कारबारों) की लाभ/हानि, जिसमें (जिनमें) नीचे दर्शायी गई धारा के अधीन मद 14 में, यदि उपरोक्त किसी मद 9, 11, 12 या 13 का उत्तर 'नहीं' है, सम्मिलित है ।

(क). धारा 44कघ के लिए 513 ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

(ख). धारा 44कङ के लिए 514 ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

(ग). धारा 44कच के लिए 515 ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

योग 521 ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

(ii) यदि आप धारा 44कघ में वर्णित सिविल सन्निनिर्माण के कारबार या सिविल सन्निनिर्माण के लिए श्रम प्रदाय में लगे थे :

(क). सकल प्राप्तियां 522

(ख). सकल प्राप्ति की 8% की दर से शुद्ध लाभ 523

(ग). जोड़ें : उपरोक्त (i)(क) और (ii)(ख) में वर्णित रकमों में से जो भी अधिक हो 524

(iii) यदि आप दस माल वाहनों से अनधिक के स्वामी थे और धारा 44कङ में वर्णित ऐसे वाहनों के चलाने, भाड़े या पट्टे पर लेने के कारबार में लगे थे :

	यानों/वाहनों की सं0	महीनों की सं0 जिसके दौरान वे स्वामित्व में थे	धारा 44कङ के अधीन समझा गया लाभ
(क) भारी माल यान			
(ख) अन्य माल वाहन		योग	

(ग). जोड़ें : उपरोक्त (i)(ख) में वर्णित रकमों में से जो भी अधिक हो और धारा 44कङ के अधीन उपरोक्त समझे गए लाभ के रूप में अवधारित रकम 530

(iv) यदि आप किसी माल के फुटकर व्यापार के कारबार या वाणिज्या में लगे थे, जिसके कारण धारा 44कच में यथा वर्णित कुल व्यापारावर्त चालीस लाख रुपए से अधिक नहीं था :

(क). ऐसे कारबार के कारण कुल व्यापारावर्त 532

(ख). व्यापारावर्त के 5% की दर से समझा गया लाभ 533

(ग). जोड़ें : 16 (i)(ग) और 16(iv)(ख) में वर्णित रकमों में से जो भी अधिक हो 540

17. घटाएं- मद 14 में सम्मिलित निम्नलिखित के कारण छूट प्राप्त आय की रकम

(i) धारा 10(2क) के अधीन छूट प्राप्त फर्म (फर्मों) से आय का अंश 542

(ii) एओपी/ बीओआई से आय का अंश 543

(iii) कर से छूट प्राप्त कोई अन्य आय (धारा विनिर्दिष्ट करें) 544

18. क्या धारा 10क/10ख/10ग लागू है ? हां ☐ नहीं ☐

यदि हां, तो क्या आपने धारा 10क(8)/10ख(8)/10ग(6) के अधीन विहित घोषणा का फाइल किया जाना चयनित किया है ? हां ☐ नहीं ☐

यदि नहीं, तो निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें

धारा	वर्ष सं0	कुल आय में दावा की गई कटौती योग्य रकम/सम्मिलित न की जाने वाली रकम

घटाएं : उपरोक्त मद 18 के अनुसार रकम | 552 |

19. जोड़ें : ऐसी आय जो धारा 28(ii) से 28(vi) में विनिर्दिष्ट की गई हैं, किन्तु मद 14 में सम्मिलित नहीं हैं | 560 |

20. जोड़ें : समझी जाने वाली ऐसी आय जो धारा 33कख, 33कखक, 35कखख, आदि के अधीन मद 14 में सम्मिलित नहीं है

(i) धारा..... रकम.....

(ii) धारा..... रकम.....

(iii) धारा..... रकम.....

(iv) धारा..... रकम.....

योग | 562 |

21. घटाएं : धारा 35क, 35कख, 35कखख, आदि के अधीन भत्ता

धारा	वर्ष सं0	किस्त	लेखे में विकलित रकम	अनुज्ञेय रकम

योग | 566 |

22. जोड़ें : धारा 44ख, 44खख और 44खखक के अधीन सम्मिलित होने योग्य लाभ के कारण समायोजन | 570 |

23. जोड़ें/घटाएं : धारा 28 से 44घक के अनुसार समायोजन, यदि आवश्यक हो

धारा के अधीन	रकम
.....	.....
.....	.....
.....	.....

योग | 572 |

24. जोड़ें/घटाएं : लेखा पुस्तकों में और अधिनियम के अनुसार अनुज्ञेय विकलित चालू अवक्षयण के कारण समायोजन | |

25. जोड़ें/घटाएं : धारा 35(1)(iv) के अधीन वैज्ञानिक अनुसंधान व्ययों के कारण समायोजन | 576 |

26. (i) सट्टे के कारबार से भिन्न कारबार या वृत्ति का लाभ और अभिलाभ | 578 |

(ii) उपरोक्त (i) में सम्मिलित प्रतिभूति संव्यवहार कर से प्रभार्य संव्यवहारों से लाभ और अभिलाभ | 597 |

(III) सट्टे के कारबार से आय की संगणना

27. सट्टे से लाभ/हानि	580	
28. जोड़ें/घटाएं : शुद्ध कानूनी समायोजन	581	
29. सट्टे के कारबार से लाभ और अभिलाभ	582	
30. घटाएं : अग्रनीत सट्टा हानि, यदि कोई हो	587	
31. सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ और अभिलाभ	589	
32. लाभ और अभिलाभ शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय [26(i)+(31)] (मद 31 में ऋणात्मक अंक पर विचार न किया जाए)	599	

(IV) धारा 11(4) के अधीन कर प्रभार्य आय की संगणना

33. उपक्रम के कारबार लेखे में यथादर्शित आय [निर्देश धारा 11(4)]	595	
34. धारा 11(4)(32)-(33) के अधीन कर प्रभार्य आय	596	

अनुसूची ग : पूंजी अभिलाभ

एक से अधिक अल्पकालिक/दीर्घकालिक आस्ति की दशा में पृथक पन्ने विवरणी के साथ प्रयुक्त और संलग्न किए जा सकेंगे । संकलित अंक मद सं0 12 के सामने दर्शाए जा सकेंगे ।

	क. अल्पकालिक आस्ति		ख. दीर्घकालिक आस्ति	
1. पन्नों की संख्या	601	(केवल एक से अधिक आस्ति की दशा में)	602	
2. अंतरित की गई आस्ति की विशिष्टियां	603		653	
3. अर्जन की तारीख (दिन-माह-वर्ष)	604		654	
4. अंतरण की तारीख (दिन-माह-वर्ष)	605		655	
5. अंतरण की रीति	606		656	
6. प्रोद्भूत या प्राप्त पूर्ण मूल्य प्रतिफल	607		657	
7. धारा 48 के अधीन कटौतियां				
(i) अर्जन की लागत	609		659	
(ii) अभिवृद्धि की लागत	610		660	

(iii) अंतरण पर व्यय 611 661

8. उपरोक्त 7 का योग 615 665

9. अतिशेष [(6)-(8)] 616 666

10. धारा 11(1क) के अधीन छूट 620 675

11. अतिशेष [(9)-(10)] 640 690
(कृपया धारा 111क/अन्य के अधीन अल्पकालिक विनिर्दिष्ट करें)

12. 11 का योग (एक से अधिक अल्प/दीर्घकालिक आस्ति की दशा में, सभी पन्नों का योग दीजिए) 641 691

13.अवक्षयण के योग्य आस्तियों पर समझा गया अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (धारा 50) 643

14."पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय

क. अल्पकालिक [(12)+(13)] 650 ख.दीर्घकालिक(12) 698

ग. धारा 111क के अधीन अल्पकालिक, जो 14क में सम्मिलित है 650 घ. अल्पकालिक (अन्य) (14क-14ग) 649

अनुसूची घ : अन्य स्रोतों से आय

1. घुडदौड़ (घुडदौड़ों) के स्वामित्व से भिन्न आय :--

(क) लाभांशों 460

(ख) ब्याज, सकल 461

(ग) मशीनरी, संयंत्रों, भवनों आदि से किराया संबंधी आय 462

(घ) स्वैच्छिक अभिदायों/दानों जिनमें समग्र के लिए दान सम्मिलित हैं 463

(ङ) अन्य 464

2. उपरोक्त 1 का योग 470

3. धारा 57 के अधीन कटौतियां

(क) अवक्षयण

(ख) .....

(ग) .....

4.	उपरोक्त 3 का योग	472	
5.	अतिशेष [(2)-(4)]	473	
6.(क)	घुडदौड़ों के घोड़े रखने और उनके रखरखाव से आय	474	
	(ख) धारा 57 के अधीन कटौतियां	475	
7.	घुडदौड़ (घुड़दौड़ों) के घोड़े रखने और उनके रखरखाव से अतिशेष आय [6(क)-6(ख)]	476	
8.	लाटरियों, पहेलियों, घुड़दौड़ों, आदि से जीतना (धारा 115खख देखिए)	477	
9.	"अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय [(5)+(7)+(8)]	499	

[मद 7 में ऋणात्मक अंक, यदि कोई हो तो यहां पर विचार न किया जाए]

अनुसूची ङ : धारा 71 के अधीन चालू वर्ष की हानियों के मुजरा करने के विवरण

यह अनुसूची केवल तभी भरें यदि किसी अन्य स्रोत से आय के विरुद्ध मुजरे के लिए निम्नलिखित स्रोतों में से किसी से हानि होती है, अन्यथा लागू नहीं लिखें

1.	गृह संपत्ति से उद्भूत हानि की रकम [मद क-17 देखिए)]	8700	
2.	कारबार से हानि की रकम (सट्टे से हानि को छोड़कर) [मद ख-26 देखिए]	8705	
3.	अन्य स्रोतों से हानि की रकम (घुड़दौड़ों से हानि को छोड़कर) [मद घ-5 देखिए]	8710	

क्रम सं0	आय का शीर्ष/स्रोत	पूर्व वर्ष की आय	मुजरा की गई पूर्व वर्ष की गृह संपत्ति की हानि*	मुजरा की गई पूर्व वर्ष की कारबार की हानि (सट्टे से हानि को छोड़कर)*	मुजरा की गई पूर्व वर्ष की अन्य स्रोतों की हानि (घुडदौड़ों के घोड़ों के स्वामित्व से हानि से भिन्न)*	मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की शेष आय
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1.	गृह संपत्ति					
2.	कारबार (जिसके अंतर्गत सट्टा लाभ भी है)					
3.	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ					
4.	दीर्घकालिक पूंजी					

	अभिलाभ					
5.	अन्य स्रोत (जिसके अंतर्गत घुड़दौड़ों के घोड़ों से लाभ भी है)					

स्तंभ (i) के अधीन पंक्ति (1) से (5) में वर्णित आय के शीर्षों/स्रोतों से होने वाली केवल धनात्मक आयों को लिखें — 8720

*स्तंभ (ii) (iii) और (iv) के अधीन आय के शीर्ष/स्रोत के सामने मुजरा की गई हानि की समुचित रकम लिखें ।

अनुसूची च- कुल आय की विवरणी

1. क. गृह संपत्ति से आय [अनुसूची क-17 या ङ.1.(v)] — 702

ख.लेखा पुस्तकों के अनुसार- कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ [अनुसूची ख-33 या ङ..2.(v)] — 703

ग. पूंजी अभिलाभ

(i) अल्पकालिक, धारा 111क के अधीन [(अनुसूची ग.14ग] — 710

(ii) अल्पकालिक (अन्य) [(अनुसूची ग.14घ] — 704

(iii) दीर्घकालिक [(अनुसूची ग.14ख] — 705

घ. अन्य स्रोतों से आय [(अनुसूची घ.9 या ङ..5.(v)] — 706

2. कुल [(क) से (घ)] ,अर्थात् सकल आय — 709

3. घटाएं :

(i). पूर्ववर्ष के दौरान भारत में पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों में अनुप्रयुक्त रकम — 716

(ii) पूर्ववर्ष के दौरान भारत में पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों में अनुप्रयुक्त की गई समझी जाने वाली रकम- धारा 11(1) के स्पष्टीकरण का खंड (2) — 717

(iii) पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए लागू/संचित या पृथक की गई / अंतिम रूप से पृथक की गई रकम, धारा 11(1)(क) के अधीन ऐसे प्रयोजनों के लिए केवल पूर्णतः या भागतः न्यास में धारित संपत्ति से व्युत्पन्न हुई आय के 15% से अधिक नहीं हो — 718

(iv). धारा 11(1) (ग) के अधीन छूट के लिए पात्र रकम — 719

(v). धारा 11(1) (घ) के अधीन छूट के लिए पात्र रकम — 720

(vi). विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए संचित या पृथक की गई उपरोक्त (iii) में निर्दिष्ट रकम के अतिरिक्त कोई रकम, यदि धारा 11(2) में सभी शर्तें पूरी करती हो — 721

(vii) धारा 10 ( ) के अधीन छूट का दावा करने वाली आय, खंड/उपखंड विनिर्दिष्ट करें

(.....) 722

(.....). 730

(viii) कुल [(i) से (vii)]

4. जोड़ें :

(i) धारा 11(1ख) के अधीन प्रभार्य आय 732

(ii) धारा 11(3) के अधीन प्रभार्य आय 733

(iii) आय, जिसके संबंध में धारा 13 के उपबंधों के कारण धारा 11 के अधीन कोई छूट उपलब्ध नहीं है 734

(iv) धारा 12(2) के अधीन प्रभार्य आय 735

(v) कुल [(i)+(ii)+(iii)+(iv)] 736

5. जोड़ें : धारा 11(4) के अधीन कर प्रभार्य कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ से आय [अनुसूची ख.34] 741

6. सकल कुल आय [(2)-(3)+(4)+(5)] 740

7. अध्याय 6क के अधीन कटौती 747

8. कुल आय [(6)-(7)] 761

9. दर प्रयोजन के लिए शुद्ध कृषि आय 762

10. ऐसी आय जो उपरोक्त मद 8 के अंतर्गत विशेष दरों/ अधिकतम सीमांत दरों पर प्रभार्य है

आय की प्रकृति	वह धारा जिसके अधीन प्रभार्य है	आय की रकम	कर की दर	कर की रकम

11. सामान्य दरों पर प्रभार्य कुल आय 769

12. विशेष दरों पर प्रभार्य कुल आय 768

13. अधिकतम सीमांत दरों पर प्रभार्य कुल आय | 773 |

अनुसूची छ- कुल आय पर करों की विवरणी

1. कुल आय पर कर

(क) विशेष दरों पर | 801 |

(ख) सामान्य दरों पर | 802 |

(ग) अधिकतम सीमांत दर पर | 803 |

2. कुल आय पर कर [1(क)+1(ख)+1(ग)] | 811 |

3. धारा 88ङ के अधीन रिबेट

(i) प्रतिभूति संव्यवहार कर को प्रभार्य संव्यवहारों से लाभ और अभिलाभ पर कर [अनुसूची ख की मद 26(ii)] | 816 |

(ii) संदत्त प्रतिभूति संव्यवहार कर की रकम (प्ररूप 10घख/10घग संलग्न करें) ; | 817 |

(iii) धारा 88ङ के अधीन रिबेट [उपरोक्त (i)/(ii) के नीचे] | 818 |

4. धारा 88ङ के अधीन कर में से रिबेट घटाएं [(2)-(3)(iii)] | 819 |

5. अधिभार [उपरोक्त (4) पर] | 828 |

6. कर +अधिभार | 829 |

7. शिक्षा उपकर [उपरोक्त (6) पर] | 834 |

8. कर +अधिभार + शिक्षा उपकर [(6)+(7)] | 835 |

9. निम्नलिखित के लिए ब्याज जोड़ें :

(क) धारा 234क के अधीन विवरणी विलंब से फाइल करने पर | 842 |

(ख) धारा 234ख के अधीन अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम पर | 843 |

(ग) धारा 234ग के अधीन अग्रिम कर के आस्थगन पर | 844 |

10. उपरोक्त मद 9 का योग | 846 |

11. संदेय कर और ब्याज का योग [(8)+(10)] 850

12. पूर्व संदत्त कर

क. अग्रिम कर

बैंक शाखा का नाम	बैंक शाखा का बी एस आर कोड (7 अंकीय)	जमा की तारीख (दिन मास वर्ष)	चालान की क्रम सं0	रकम (रु0)

किस्त की तारीख	15/9 तक 858	16/9 से 15/12 859	16/12 से 15/03 860	16/03 से 31/03 661	योग 862
रकम					

ख. स्रोत पर काटा गया/संगृहीत कर :[प्रमाणपत्र संलग्न करें] :

(क).....

(ख).....

(ग).....

[(क) से (ग)] का योग..... 873

ग. स्वतःनिर्धारण पर कर

बैंक शाखा का नाम	बैंक शाखा का बी एस आर कोड (7 अंकीय)	जमा की तारीख (दिन मास वर्ष)	चालान की क्रम सं0	रकम (रु0)

संदत्त कुल स्वतः निर्धारण कर का योग 888

घ. अन्य पूर्व संदत्त कर, यदि कोई हों (कृपया विनिर्दिष्ट और प्रमाण संलग्न करें) 876

13. योग [12(क)+12(ख)+12(ग)+12(घ)] 878

14. संदेय कर और ब्याज [(11)-(13)] | 891 | | | | | | | | | |

13. देय प्रतिदाय, यदि कोई हो [(13)-(11)] | 894 | | | | | | | | | |

अनुसूची ज- साधारण जानकारी

1. पते में परिवर्तन की दशा में, कृपया नया पता दें (टिक लगाएं) :

क. निवास ☐ या ख. कार्यालय ☐

फ्लैट/द्वार/ब्लाक सं0

परिसरों/भवन/ग्राम

मार्ग/स्ट्रीट/लेन/डाकघर

क्षेत्र/परिक्षेत्र/तालुक/उपखंड

कस्बा/शहर/जिला

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र

पिन

2. बैंक खाते की विशिष्टियां (प्रतिदाय मामलों में आज्ञापक)

बैंक का नाम	एमआईसीआर कोड (9 अंकीय)	बैंक शाखा का पता	खाते का प्रकार (बचत/चालू)	खाता संख्या	ईसीएस (हां/नहीं)

3. दावाकृत छूट प्राप्त आय :

आय की प्रकृति	रकम (रु0 में)	दावे के लिए कारण

4. यदि धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iiiकघ) या (iiiकङ) या (vi) या (viक) के अधीन छूट का दावा किया जाता है तो संकलित वार्षिक प्राप्तियों की रकम का विवरण दीजिए

5. पूर्त या धार्मिक या शैक्षिक या परोपकारी उद्देश्यों/क्रियाकलापों की प्रकृति का विवरण दीजिए

6. क्या आप धन-कर के लिए निर्धारिती हैं ?

हां ☐ नहीं ☐

(यदि हां, तो इस विवरणी के साथ धन-कर विवरणी फाइल करें)

अनुसूची झ- धारा 11(2) के अर्थान्तर्गत पिछले ग्यारह वर्ष में अर्थात् चालू निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष और दस पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष में संचित/पृथक की गई रकमों का ब्यौरा

संचयन का वर्ष	संचित रकम	क्या धारा 11(5) के उपबंधों के अनुसार विनिधान की गई है	संचयन का प्रयोजन	वर्ष के दौरान अनुप्रयुक्त रकमें	उपयोजन के लिए उपलब्ध अतिशेष रकम	धारा 11 की उपधारा (3) के अर्थांतर्गत समझी गई आय की रकम

अनुसूची ञ- धारा 115ञख के अधीन खाता लाभ

1. पूर्व सुसंगत वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में यथादर्शित शुद्ध लाभ-धारा 115ञख(2) 936

2. समायोजन (यदि कोई हो)-धारा 115ञख(2)के पहले और दूसरे परंतुक द्वारा 937
3. समायोजन -धारा 115ञख(2) के स्पष्टीकरण द्वारा 938

मद की प्रकृति	जोड़ें	घटाएं

4. कुल समायोजन [(2)+(3)] 939

5. अतिशेष खाता लाभ [(1)+(4)] 941

6. खाता लाभ का 7.5% | 942 | | | | | | | | | |

अनुसूची ट- न्यास या संस्था की सभी निधियों के, जो पूर्ववर्ष के अंतिम दिन थी, विनिधान को दर्शाते हुए विवरणी

भाग क- धारा 11(5) के अधीन किए गए विनिधान/निक्षेपों के ब्यौरे (पृथक पन्ने पर दिए जा सकेंगे यदि जगह समुचित नहीं है)

भाग ख- पूर्ववर्ष (पूर्ववर्षों) के दौरान किसी समय धारित विनिधान [उस संबंध में जिसमें धारा 13(3) में किसी सारवान हित को रखने वाले व्यक्ति निर्दिष्ट हैं]

क्र0सं0	संबद्ध का नाम और पता	जहां संबद्ध कोई कंपनी है, तो शेयरों की सं0 और वर्ग	विनिधान का अभिहित मूल्य	विनिधान से आय	क्या स्तंभ 4 की रकम पूर्ववर्ष के दौरान संबद्ध की पूंजी का 5 प्रतिशत से अधिक है- हां/नहीं लिखें
1	2	3	4	5	6
		योग			

भाग ग- अन्य विनिधान, जैसे पूर्ववर्ष (पूर्ववर्षों) के अंतिम दिन थे

क्र0सं0	संबद्ध का नाम और पता	जहां संबद्ध कोई कंपनी है, तो धारित शेयरों का वर्ग	विनिधान की सं0 और अभिहित मूल्य
1	2	3	4

अनुसूची ठ - संस्था के न्यास के कर्ता(कर्ताओं)/संप्रवर्तक(संप्रवर्तकों)/न्यासी(न्यासियों)/प्रबंधक(प्रबंधकों),आदि के संबंध में विशिष्टियों की विवरणी

1. कर्ता(कर्ताओं)/संप्रवर्तक(संप्रवर्तकों) का(के) नाम और पता (पते), यदि जीवित है(हैं)
2. वह तारीख जिसको न्यास सृजित किया गया था या संस्था स्थापित की गई थी या कंपनी निगमित की गई थी
3. पूर्ववर्ष (पूर्ववर्षों) के दौरान उस(उन) व्यक्ति (व्यक्तियों) का(के) नाम जो न्यासी/प्रबंधक था (थे)
4. उस व्यक्ति का (उन व्यक्तियों के) नाम जिसने/जिन्होंने धारा 13(3)(ख) के निबंधनों के अनुसार न्यास/संस्था में सारवान अभिदाय किया है।
5. नातेदार का (नातेदारों के), कर्ता का (कर्ताओं के) संप्रवर्तक(संप्रवर्तकों), न्यासी (न्यासियों), प्रबंधक (प्रबंधकों) का(के) नाम और सारवान अभिदाय (अभिदायों) और जहां कोई ऐसा कर्ता, संप्रवर्तक, न्यासी, प्रबंधक या सारवान अभिदायकर्ता हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का है तो कुटुम्ब के सदस्यों और उनके नातेदारों के नाम भी दीजिए

अनुसूची ड : सीमांत फायदों का मूल्य (यदि लागू हो)

व्यय की प्रकृति (i)	व्यय की रकम/मूल्य (ii)	प्रतिशत (iii)		सीमांत फायदे का मूल्य (iv)=(ii)x (iii) ÷ 100
1. कर्मचारियों या उनके कुटुम्ब के सदस्यों की प्राईवेट यात्रा के लिए उपबंधित निःशुल्क या रियायती टिकट (स्तंभ (ii) में दिया गया मूल्य जन साधारण के टिकट का मूल्य होगा, जिसमें से कर्मचारी द्वारा संदत्त या वसूल की गई रकम, यदि कोई हो, कम कर दी जाएगी ।		100	8551	
2. कर्मचारियों के लिए अनुमोदित अधिवार्षिकी निधि में किया गया अभिदाय		100	8552	
3. मनोरंजन		20	8553	
4.(क) होटल कारबार से अन्यथा कारबार में सत्कार		20	8554	
4(ख) होटल कारबार में सत्कार		5	8555	
5. सम्मेलन (किसी सम्मेलन में कर्मचारियों द्वारा भाग लेने की फीस से अन्यथा)		20	8856	
6. प्रचार सहित विक्रय संवर्धन (धारा 115बख (2)(घ) के परंतुक में निर्दिष्ट किसी प्रचार व्यय के सिवाय)		20	8857	
7.कर्मचारी कल्याण ।		20	8558	
8 (क)सन्निर्माण कारबार में या विनिर्माण कारबार में या भेषजीय औषधियां या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के उत्पादन से भिन्न कारबार में वाहन, पर्यटन या कारबार (जिसके अंतर्गत विदेश यात्राएं भी हैं) ।		20	8559	

8 (ख)सन्निर्माण कारबार में या विनिर्माण कारबार में या भेषजीय औषधियां या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के उत्पादन में वाहन सवारी, पर्यटन और यात्रा (जिसके अंतर्गत विदेश यात्राएं भी हैं) ।		5	8560	
9 (क)विनिर्माण कारबार या उत्पादन कारबार या भेषजीय औषधियां या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के उत्पादन से भिन्न कारबार में होटल, आवास और भोजन की सुविधाओं का उपयोग ।		20	8561	
9 (ख)विनिर्माण कारबार में या उत्पादन कारबार में या भेषजीय औषधियों के उत्पादन या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में होटल, आवास और भोजन की सुविधाओं का उपयोग ।		5	8562	
10 (क)मोटरकार द्वारा सवारियों या माल के वहन करने के कारबार से भिन्न कारबार में मोटर कारों की मरम्मत, चालू रखना (जिसके अंतर्गत ईंधन भी है) और अनुरक्षण और उनके अवक्षयण की रकम ।		20	8563	
10 (ख) मोटरकार द्वारा सवारियों या माल के वहन करने के कारबार मेंमोटर कारों की मरम्मत, चालू रखना (जिसके अंतर्गत ईंधन भी है) और अनुरक्षण और उनके अवक्षयण की रकम ।		5	8564	
11.वायुयान द्वारा सवारियों या माल के वहन करने के कारबार से भिन्न कारबार में वायुयानों की मरम्मत, चालू रखना (जिसके अंतर्गत ईंधन भी है) और अनुरक्षण और उनके अवक्षयण की रकम ।		20	8585	
12.पट्टे पर ली गई टेलीफोन लाइनों पर व्यय से भिन्न टेलीफोन का (जिसके अंतर्गत मोबाइल फोन भी है)उपयोग ।		20	8556	

13.प्रशिक्षण प्रयोजनों के लिए उपयोग में आने वाली वास सुविधा से भिन्न अतिथिगृह की प्रकृति की किसी वास सुविधा का अनुरक्षण ।		20	8567	
14.उत्सव समारोह ।		50	8568	
15. स्वास्थ्य क्लब और वैसी ही सुविधाओं का उपयोग ।		50	8569	
16.किसी अन्य क्लब सुविधा का उपयोग ।		50	8570	
17. दान ।		50	8571	
18. छात्रवृत्तियां ।		50	8572	
19. सीमांत फायदों का मूल्य ।	[स्तंभ (iv) का योग]		8573	

20.(क)क्या आप भारत में और बाहर दोनों आधार पर कर्मचारी रखते हैं ?	यदि हां, तो 1 लिखें और यदि नहीं तो 2 लिखें	8574	
(ख) यदि हां, तो क्या आप भारत और विदेश के प्रचालनों के लिए पृथक लेखा पुस्तकें अनुरक्षित करते हैं ?	यदि हां, तो 1 लिखें और यदि नहीं तो 2 लिखें	8575	
(ग) यदि पृथक् लेखे अनुरक्षित नहीं करते हैं, --			
(i) भारत में आधारित कर्मचारियों की संख्या		8576	
(ii) भारत में और भारत से बाहर, दोनों कर्मचारियों की कुल संख्या		8577	
(घ)कर योग्य सीमांत फायदों का मूल्य (स्तंभ 19 X स्तंभ 20(ग)(i)÷स्तंभ 20(ग)(ii)		8580	

अनुसूची - ढ- अग्रिम सीमांत फायदा कर (यदि लागू हो)

बैंक शाखा का नाम	बैंक शाखा का बी एस आर कोड (7 अंकीय)	जमा की तारीख (दिन मास वर्ष)	चालान की क्रम सं0	रकम (रु0)

किस्त की तारीख	पहली तिमाही के लिए 8585	दूसरी तिमाही के लिए 8586	तीसरी तिमाही के लिए 8587	चौथी तिमाही के लिए 8588
रकम				

कुल संदत्त अग्रिम सीमांत फायदा कर 8590

अनुसूची ण- स्वतःनिर्धारण पर संदत्त सीमांत फायदा कर (यदि लागू हो)

बैंक शाखा का नाम	बैंक शाखा का बी एस आर कोड (7 अंकीय)	जमा की तारीख (दिन मास वर्ष)	चालान की क्रम सं0	रकम (रु0)

कुल स्वतः निर्धारण पर संदत्त सीमांत फायदा कर 8591

(ii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35घ(4)/35ङ (6) के अधीन संपरीक्षित रिपोर्ट से संबंधित प्ररूप सं0 3ख, प्ररूप सं0 3कङ के रूप में पुनर्संख्यांकित होगा ।

[अधिसूचना स. 288/2006/फा.स. 142/41/2006-टीपीएल]

संबित त्रिपाठी, अवर सचिव

टिप्पण :– मूल नियम अधिसूचना सं. का.आ. 969, तारीख 26 मार्च, 1962 के अधीन प्रकाशित किए गए थे और आयकर (दसवाँ संशोधन) नियम, 2006 द्वारा अधिसूचना सं. का.आ. 1532(अ), तारीख 14-9-2006 द्वारा अंतिम रूप से संशोधित किए गए थे।